भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 749
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

आईसीएओ सुरक्षा मानदंड

749. श्री के.सुधाकरन:
श्री अमरा राम:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया की उड़ान संख्या 171 दुर्घटना की जाँच की स्थिति क्या है जिसमें ब्लैक बॉक्स विश्लेषण की प्रगति और इंजन विफलता, लैंडिंग गियर की खराबी या तोड़फोड़ जैसे संभावित कारणों के बारे में प्रारंभिक निष्कर्ष शामिल हैं;
(ख) सुरक्षा प्रोटोकॉल, विमान रखरखाव या नियामक निरीक्षण में चूक के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने डीजीसीए द्वारा चिह्नित पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग या अतिदेय रखरखाव से संबंधित उल्लंघनों के लिए एअर इंडिया के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है,
(घ) अहमदाबाद हवाई अड्डे के उड़ान पथ के पास स्थित ऊँची संरचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) घटना के संबंध में गठित उच्च-स्तरीय जाँच समिति का दायरा और समय-सीमा क्या है; और
(च) क्या पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विमानन सुरक्षा में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए उक्त समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): दिनांक 12.06.2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 की दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का निर्धारण करने के लिए महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2017 के नियम 11 के तहत अन्वेषण का आदेश दिया गया है।

एआई-171 (वीटी-एएनबी) के उड़ान रिकॉर्डरों में से एक का डेटा, उड़ान भवन में एएआईबी की उड़ान रिकॉर्डर प्रयोगशाला में डाउनलोड किया जा चुका है।

एएआईबी द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2025 को दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यह उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है।

दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का निर्धारण करने के लिए अन्वेषण किया जा रहा है।

(ख): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास विमानों के सुरक्षित परिचालन और इनके रखरखाव के लिए व्यापक और संरचित नागर विमानन विनियम मौजूद हैं। इन विनियमों को निरंतर अद्यतित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)/यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क भी मौजूद है अर्थात संगठन/विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों की नियमित निगरानी सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित एवं आवधिक ऑडिट, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। किसी उल्लंघन के मामले में, डीजीसीए प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

(ग): डीजीसीए ने मेसर्स एअर इंडिया को चालक दल की शेड्यूलिंग से संबंधित सभी कार्यों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से 03 कार्मिकों को हटाने का निर्देश दिया है।

(घ): हवाईअड्डे पर लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान विमान परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अहमदाबाद हवाईअड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मानकों के अनुरूप ऑब्सटेकल लिमिटेशन सर्फेसिज (ओएलएस) स्थापित की गई हैं और साकानि 751 (अ) के तहत अधिसूचित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, इन स्थापित ऑब्सटेकल लिमिटेशन सर्फेसिज (ओएलएस) की निगरानी और नियंत्रण हेतु एयरोड्रोम लाइसेंसिंग अपेक्षाओं के भाग के रूप में, अहमदाबाद हवाईअड्डे का बाधा सर्वेक्षण नियमित रूप से किया जाता है।

(ङ) और (च): एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 की घटना के पश्चात भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश सुझाने हेतु दिनांक 13.06.2025 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना और उचित एसओपी तैयार करना।

2) ऐसी घटनाओं को रोकने और दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन, परिचालन संबंधी सुधार और प्रशिक्षण संवर्द्धनों के संबध में सुझाव प्रदान करना।

3) बचाव कार्यों सहित विभिन्न हितधारकों (केन्द्र और राज्य सरकार दोनों) की आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा उनके बीच समन्वय का आंकलन करना।

****